प्रकरण 3231/2014

(129)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

R. 2043-PBR/14

कीर्ति श्रीवास्तव आयु करीब 40 वर्ष

पत्नि स्व. श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव

निवासी महाराजपुर ग्वालियर तहसील व

जिला ग्वालियर...याचिकाकर्ता

बनाम

अनन्त कुमार श्रीवास्तव आयु करीब 45 वर्ष

आ. जागेश्वर दयाल श्रीवास्तव

निवासी तवा कालोनी बाबई तहसील बाबई

जिला होशंगाबाद ....उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय इटारसी द्वारा प्रथम अपील कमांक 12/3अ/12 91-11-12 जिसके पक्षकार अनन्तकुमार बनाम कीर्ति श्रीवास्तव है, में पारित आदेश दि. 12.5.14. जिसके माध्यम से अपीलार्थी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुती में हुये विलम्ब को क्षमा किया गया है, से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तत करती है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 2043/पीबीआर/2014 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित तथा अनावेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	